न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 25/2014 (2014/00062)

श्री गोविन्द पुत्र श्री हीरा जाति कुम्हार निवासी सरमालिया तहसील ब्यावर जिला–अजमेर। (फौत) विधिक वारिसान–

1. श्री किशन पुत्र गोविन्द
2. श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र गोविन्द
3. श्री सुरजकरण पुत्र गोविन्द
4. श्री रंगलाल पुत्र गोविन्द
5. भँवरी देवी पुत्री गोविन्द
6. चन्दु पुत्री गोविन्द ..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला–अजमेर ..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री लेखू मंधानी — अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री हेमराज राठौड — राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 18.03.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम सरमालिया तहसील ब्यावर जिला–अजमेर स्थित आराजी खसरा सं0 1300/1 की कुल रकबा 16–02–12 किस्म दांती भूमि में से रकबा 1–10–00 सरकारी सिवाय चक भूमि पर अनाधिकृत रूप से आवासीय मकान, राशन की दुकान व बाडा, बनाकर अतिक्रमण किया गया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार ब्यावर द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 16/2014 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 30.04.2014 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली एवं शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 30.04.2014 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के नोटिस पर दिनांक 28.04.2014 को जवाब नोटिस पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के नोटिस का अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने के बावजूद पटवारी हल्का की साक्ष्य लिपिबद्ध कर अपीलान्ट को साक्ष्य, जिरह का अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 30.4.2014 को अपीलान्ट को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किये जाने का आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। प्रश्नगत भूमि जिस पर अपीलान्ट का मकान, बाडा एवं दुकान बनी हुई है वह भूमि पंचायत की आबादी भूमि है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर 50 वर्ष से भी पूर्व का निर्माण है। राजस्थान सरकार बनाम पदमावती देवी 1995 (1) डी.एन.जे (एस. सी.) पृष्ठ संख्या 208 पर प्रतिपादित सिद्धान्त के मुताबिक ऐसे मामलो पर धारा 9 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.1.198

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

को सरपंच ग्राम पंचायत सरमालिया को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पट्टा जारी करने हेतु अनुरोध किया गया। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा खसरा नं0 1300 की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम की आबादी विस्तार के लिए आवंटित की गई थी, किन्तु नक्शें में तरमीम नहीं की गई। चूंकि मौके पर खसरा नं0 1300 की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि को चिन्हित हीं नहीं किया गया तो अपीलान्ट का खसरा नं0 1300/01 की भूमि में कब्जा मानकर धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का कोई आधार स्पष्ट नहीं है। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र एफ–6(10)राज/ग्रुप–4/77 दिनांक 23.4.1977 के द्वारा सिवायचक/चारागाह भूमि पर बने निर्माण को नियमित करने की व्यवस्था की गई है। अपनी बहस जारी रखते हुए अभिभाषक अपीलान्ट्स ने आगे कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के तहत दिनांक 17.6. 1999 से पूर्व कोई व्यक्ति किसी भूमि पर मय परिवार आवास निर्मित कर भौतिक रूप से निवास कर रहा है तो निर्धारित दर से नियमन राशि मय शास्ति वसूल कर आवासीय सम्परिवर्तन किया जा सकता है। आबादी भूमि से लगती हुई सिवाय चक भूमि पर ग्राम की आबादी विस्तार हो जाने तथा 2004 व उससे पूर्व का निर्माण होने पर आवासीय पट्टा जारी करने के आदेश व निर्देश अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये है। इस प्रकार अपीलान्ट, उसके भौतिक धारण सम्पति का नियमानुसार प्रीमियम व शास्ति जमा करवाते हुए आवासीय पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी विधिक आधारों पर विवेचन, विश्लेषण नहीं कर विधिक त्रूटि कारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिक प्रकिया के तहत साक्ष्य व जिरह का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से आक्षेपित आदेश प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2014 निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। साथ ही अपीलान्ट का प्रकरण ग्राम पंचायत सरमालिया को राजस्थान पंचायती राज नियम 2006 के नियम 157 के तहत पुराने कब्जा/निर्माण का नियमानुसार नियमन कर पट्टा जारी किये जाने हेतु प्रेषित किया जावे।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार भी किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है तथा अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2014 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.03..2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner